



Neutral Citation No. - 2026:AHC:163868

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 4599 वर्ष 2026

पवन बघेल उर्फ पारस

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : नूर मुहम्मद, योगेश कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदक द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमा अपराध संख्या 68 सन् 2025, धारा 296 बी.एन.एस. तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 3/4/5/6/7, थाना मक्कखनपुर, जनपद फिरोजाबाद में विचारण के लंबित रहने के दौरान उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है; उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक तथा सह-अभियुक्त कश्मीर सिंह सहित 17 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई है। आवेदक का नाम सह-अभियुक्तों के इकबालिया बयानों में प्रकाश में आया है, जिन्हें कथित रूप से मौके पर गिरफ्तार किया गया था। आगे प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त कश्मीर सिंह, जिसके विरुद्ध उस होटल को किराये पर लेकर चलाने का आरोप है, जहां वेश्यावृत्ति का व्यवसाय संचालित किया जाता था, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 19.05.2026 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 4504 सन् 2026 में पारित आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक के दो मामलों के आपराधिक इतिहास को अनुपूरक शपथपत्र के अनुच्छेद संख्या 2 में स्पष्ट किया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक उक्त परिसर का संचालन नहीं कर रहा था और सह-अभियुक्त कश्मीर सिंह को बचाने के लिए अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा उसका नाम गलत रूप से लिया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक जांच एवं विचारण के दौरान सहयोग करने तथा जांच अधिकारी अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित हो, उपस्थित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होने का वचन देता है। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, जांच में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यों के पक्ष पर विवाद नहीं किया है।

5. मैंने दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी दलीलों को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

6. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एस सी सी 1 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, जांच की दिशा को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को डराना-धमकाना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से भागने की संभावना, जैसे कि देश छोड़कर चले जाना आदि पर विचार करना होता है। आगे यह भी प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को सौंपी गई भूमिका तथा मामले के तथ्यों जैसे विचारों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा नहीं, यह विवेक का विषय है।

7. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च कोर्ट केस 676 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी का अवसर तब उत्पन्न होता है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जब अभिरक्षात्मक जांच आवश्यक हो जाती है अथवा अपराध जघन्य हो या ऐसी संभावना हो कि साक्षियों को प्रभावित किया जा सकता है अथवा अभियुक्त फरार हो सकता है। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह अनिवार्य नहीं हो जाता कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि जांच अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा समन की अवहेलना करेगा और उसने वास्तव में पूरी जांच के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

8. अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए मामला बनता है।

9. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i) गिरफ्तारी की स्थिति में, उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक- **पवन बघेल उर्फ पारस** को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए ₹50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे;



(ii) आवेदक जांच के दौरान जांच अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा जांच किए जाने के उद्देश्य से जब भी अपेक्षित हो, जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; तथा

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।

10. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/जांच अधिकारी/प्रथम सूचनादाता-शिकायतकर्ता आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

05 अगस्त, 2026

नितेंद्र

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)